खण्ड–20, अंक–1
बुधवार, 30 कार्तिक, शक संवत् 1929
(21 नवम्बर, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(तृतीय सत्र, 2007)

(खण्ड 20 में 4 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	क
कतिपय विषयों को नियम 310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	1–6
प्रश्नोत्तर	6–23
कतिपय विषयों को पुनः नियम 310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	23–27
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तराखण्ड सरकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	28
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी निवास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	28
उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	28
उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	28
गो वंश संरक्षण विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	28–29
उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाना	29
गन्ना मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में गन्ना मंत्री का वक्तव्य ...	29–30
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	30
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश	30–31
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	31
नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं	31

क

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3.. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. मिस कैरन हिल्टन
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह
10. श्री खजान दास
11. श्री खड़क सिंह बोहरा
12. श्री गगन सिंह
13. श्री गणेश जोशी
14. श्री गोपाल सिंह राणा
15. श्री गोपाल सिंह रावत
16. श्री गोविन्द लाल
17. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19. श्री चन्दन राम दास
20. श्री जोगा राम टम्टा
21. श्री जोत सिंह गुनसोला
22. हाजी तसलीम अहमद
23. श्री तिलक राज बेहड़
24. श्री दिनेश अग्रवाल
25. श्री दिवाकर भट्ट
26. श्री दिवान सिंह
27. श्री नारायण पाल
28. काजी मौ0 निजामुद्दीन
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पंत
31. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलबीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बृज मोहन कोटवाल
39. श्री भगत सिंह कोश्यारी
40. श्री मदन कौशिक
41. श्री मनोज तिवारी
42. श्री मयूख सिंह
43. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
44. श्री मातबर सिंह कण्डारी
45. श्री मुन्ना सिंह चौहान
46. श्री यशपाल आर्य
47. श्री यशपाल बेनाम
48. चौ यशवीर सिंह
49. श्री रणजीत रावत
50. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
51. श्री राजकुमार
52. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56. श्रीमती वीना महराना
57. श्री शहजाद
58. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
59. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60. श्री सुरेन्द्र राकेश
61. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
62. श्री सुरेश चन्द्र जैन
63. डा0 हरक सिंह रावत
64. श्री हरिदास
65. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही 'वन्दे मातरम्' से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्
फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)

कतिपय विषयों को नियम 310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, हमारी नियम 310 की सूचना है। प्रदेश में जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आकर नारे लगाने लगे–भाजपा की सरकार होश में आओ–होश में आओ, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी करो–आज करो–अभी करो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (व्यवधान) आज नियम 310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, मो0 तसलीम अहमद

तथा मो0 शहजाद जी की है। जो उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास प्रमाण–पत्र व जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, मो0 तसलीम अहमद तथा मो0 शहजाद की है। जो उत्तराखण्ड में गन्ना किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोल, श्री तिलक राज बेहड़, श्री यशपाल आर्य, श्री राजेश जुवांठा, श्री केदार सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा की है। जो प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के निवासियों को मूल व जाति प्रमाण–पत्रों को बनवाने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में है। मूल निवास प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने का जो विषय उठाया गया है वह गम्भीर विषय है और जन–जन से जुड़ा है। अतः इस सम्बन्ध में एक सर्वदलीय समिति के गठन की घोषणा करता हूँ। कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे–जाति प्रमाण–पत्र व मूल निवास प्रमाण–पत्र निर्गत करो–आज करो, अभी करो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ।)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह निर्देश आपके द्वारा दिये गये थे, उसके बाद भी सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई, आज भी लोग दर–दर भटक रहे हैं, तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने जो बातें कही हैं मेरी जानकारी में नहीं हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सदन व्यवस्थित करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप चर्चा करा दें हम सदन व्ययस्थित करने का प्रयास करेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सर्वदलीय समिति के गठन की घोषणा कर दी है जिसमें आप भी मौजूद रहेंगे, सभी दलों के माननीय सदस्य मौजूद रहेंगे, आप अपनी बात उसमें कर सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिए, यह गम्भीर विषय है, सदन में चर्चा होनी चाहिए, तब आप आवश्यक समझें तो समिति बना दें।

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वदलीय समिति बन गई है उसमें सब कुछ आ जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय है, बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए परेशान हैं, आपके द्वारा, सरकार द्वारा पूर्व में निर्देश दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यह गम्भीर विषय है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में पूर्ववत् खड़े थे।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पहल नहीं की गयी है, एक तरह से यह पीठ की अवहेलना भी है। (व्यवधान) मान्यवर, कार्यवृत्त के आधार पर जाति एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। जबकि इस सम्बन्ध में कोई जी0ओ0 भी जारी नहीं हुआ है। क्या इस कार्यवृत्त को ही जी0ओ0 माना जाय ? (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं मानता हूँ कि यह महत्वपूर्ण विषय है, इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें सर्वदलीय कमेटी गठित की गयी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें चर्चा स्वीकार करें। (व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जो सर्वदलीय समिति की बैठक होगी, उसके बिन्दुओं पर सदन में चर्चा होगी। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया आप इस पर चर्चा स्वीकार करें। हम सदन को व्यवस्थित कर देंगे। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो कार्यवृत्त दिया है यह दिनांक 28–06–2006 की बैठक का है, चूँकि उस समय यहाँ पर दूसरी सरकार थी, इसलिए ये निर्देश तो पिछली सरकार ने दिये हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह शासनादेश नहीं है। (व्यवधान) इसमें मात्र कार्यवृत्त के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, जोकि सही नहीं है। (व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, यह तो आपकी सरकार की देन है। (व्यवधान)

वेल में खड़े सदस्य अपनी–अपनी बात कहते रहे।

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार के द्वारा इस पर आश्वासन दिया गया था कि इस पर समयबद्ध ढंग से निर्णय लेंगे। इस पर निर्णय लेने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय था। मान्यवर, इन पाँच–छः महीनों में जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश लेना था, वे इसमें वंचित रह गये हैं। (व्यवधान)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ आपनी बात कहने पर घोर–व्यवधान)

[XXX]

श्री अध्यक्ष–

जो भी माननीय सदस्य बिना अनुमति के अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात अंकित नहीं की जाएगी। कृपया अपने स्थान पर बैठ कर बात करिये।

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ आपनी बात कहने पर व्यवधान)

[XXX]

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाएंगे तब तक इनकी कोई बात अंकित नहीं की जाएगी।

[XXX]

[XXX]

श्री अध्यक्ष–

आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी।

[XXX]

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे–[XXX])

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचनाओं पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना–अपना आसन ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे– [XXX])

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें, माननीय सदस्यों को आसन ग्रहण करने को कहें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे– [XXX])

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को मध्याह्न 12:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12:40 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

मार्शल, विधान सभा–

मानननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन अपराह्न 1:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़ शहर हेतु आंवलाघाट स्थान से लिफ्ट पेयजल योजना

*1–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बतायेंगे कि पिथौरागढ़ शहर हेतु रामगंगा नदी से आंवलाघाट स्थान से लिफ्ट पेयजल योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ तो कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व निर्मित घाट पम्पिंग पेयजल योजना का पुनर्गठन प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड में पहाड़ों के विकास के लिए वन अधिनियम को लचीला बनाना

*2–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में पहाड़ों के विकास के लिए वन अधिनियम को लचीला बनाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (बंशीधर भगत)–

जी हाँ। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कतिपय जटिल प्राविधानों के शिथिलीकरण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा श्री बच्ची सिंह रावत, मा0 सांसद लोक सभा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

समिति के सुझाव प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ स्थित विकास खण्ड कनाली छीना के अन्तर्गत भागीचौरा के अस्कोट तथा नारायण नगर क्षेत्र हेतु पेयजल व्यवस्था

*3–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड

नोट :– उत्तराखण्ड विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

कनालीछीना के अन्तर्गत भागीचौरा, अस्कोट तथा नारायण नगर क्षेत्र हेतु पेयजल की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ?

क्या चर्मा नदी से इस क्षेत्र हेतु लिफ्ट योजना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र पेयजल की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन क्षेत्रों में गुरूत्व से पेयजल उपलब्ध होने के कारण पम्पिंग योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत बंजारेवाला भगवानपुर में संचालित स्टोन क्रेशर को बन्द करने का औचित्य

*4–श्री सुरेन्द्र राकेश–

द्वितीय सत्र 2007 हेतु निर्धारित प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न 02 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि स्टोन क्रेशर को नियमों का उल्लंघन करने के कारण बन्द किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने वर्ष 2006 के बाद स्थल पर जाकर स्टोन क्रेशरों का निरीक्षण किया है ? यदि नहीं तो बिना निरीक्षण/जाँच के शर्तों का उल्लंघन स्टोन क्रेशरों में कैसे दर्शाया गया है तथा जब इको फ्रेजाइल जोन 5 किमी0 नहीं है तो स्टोन क्रेशरों को बन्द करने का क्या औचित्य है ?

क्या सरकार उत्पीड़ित स्टोन क्रेशर मालिकों को सम्पूर्ण नियमों/शर्तों का पालन करने पर राहत प्रदान किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ। उक्त स्टोन क्रेशर राजाजी नेशनल पार्क के 5 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित हैं।

वर्तमान में उक्त स्टोन क्रेशरों द्वारा अपील दाखिल की गई है और मामला अपीलीय प्राधिकरण में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

किसानों द्वारा फसल में किये खर्च का आनुपातिक मुआवजा एवं जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुँचाये जाने हेतु मुआवजे का प्राविधान

*5–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि संशोधित शासनादेश संख्या 2212/दस–2–2005–19 (37)/2003, दिनांक 28–7–2005 के अनुसार दिये जाने वाला मुआवजा किसान द्वारा फसल में किये गये खर्च के आनुपातिक है ?

यदि नहीं तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा पुनः संशोधित कर आनुपातिक दर से भुगतान करेगी ?

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

क्या, मुआवजा दिये जाने का प्राविधान जंगली हाथियों के संदर्भ में ही है अथवा सभी जंगली जानवरों के संदर्भ में है, जिनके द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

जी नहीं।

आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य किसान द्वारा फसल में किये गए व्यय की आंशिक भरपाई करना है।

शासनादेश दिनांक 28–07–2005 के अनुसार मुआवजा दिये जाने का प्राविधान जंगली हाथियों तथा सुअरों के द्वारा ग्रामीणों की फसलों को क्षति पहुँचाये जाने के संदर्भ में है।

गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत गंगा को स्वच्छ रखने हेतु कार्ययोजना

*6–श्री नारायण पाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य गठन से अब तक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा अब तक इस योजना में विगत 3 वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है ?

गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य गठन से माह अक्टूबर, 2007 तक रु0 2259.52 लाख (रुपये बाईस करोड़ उनसठ लाख बावन हजार मात्र) का वित्त पोषण किया गया है और विगत 3 वर्षों (माह अप्रैल, 2004 से माह मार्च, 2007 तक) रु0 608.79 लाख (रुपये छः करोड़ आठ लाख उन्नासी हजार मात्र) का व्यय किया गया है।

जी हाँ।

राज्य के अन्तर्गत गंगा के तट पर बसे 10 शहरों को स्वच्छ रखने हेतु कार्यकारी योजना बनायी गयी है। योजना के अन्तर्गत नाला टैंपिग, सीवर लाईन बिछाना, मल शोधन संयत्रों, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों आदि कार्यों का समावेश किया गया है, जिससे गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु प्रदूषित जल का बहाव नदी में जाने से रोका जा सके।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पोखड़ा अन्तर्गत चौबट्टाखाल पम्पिंग पेयजल योजना हेतु धनावंटन

*7–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा वि0ख0 के अन्तर्गत चौबट्टाखाल पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य धन के अभाव में लम्बित पड़ा हुआ है ?

यदि हाँ, तो मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार इस योजना के निर्माण हेतु धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

योजना सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रिया में है।

येाजना के कार्य क्षेत्र सुधार नीति (स्वैप) के अन्तर्गत किये जाने के कारण सम्बन्धित ग्राम सभाओं से पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति का गठन होने की बाध्यता है तथा ग्राम सभा स्तर से पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति का गठन होते ही योजना पर धनावंटन की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड बीरौंखाल के अन्तर्गत रसिया महादेव–ललितपुर क्षेत्र में पेयजल समस्या

*8–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वि0ख0 बीरोंखाल के रसिया महादेव–ललितपुर क्षेत्र के 25 ग्राम एवं तोकों में प्राकृतिक जल स्रोत के सूख जाने के कारण पेयजल समस्या उत्पन्न हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्रीय जनता को पेयजल समस्या से निदान दिलाने हेतु खटलगढ़ नदी पम्पिंग योजना की स्वीकृति दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

ग्रीष्म ऋतु स्रोतों का स्राव कम होने तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

जल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना की साध्यता का आंकलन करके कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु वृहद योजना

*9–श्री गणेश जोशी

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट की कोई व्यवस्था नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु कोई वृहद योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट का प्राक्कलन भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार से धनावंटन प्राप्त होने के पश्चात् योजना पर कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत मूलभूत सुविधा से वंचित 42 गाँव

1–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत 42 गाँव गोविन्द पशु विहार (वाइल्ड लाईफ) के अन्तर्गत आते हैं, जिस कारण इन 42 प्रभावित गाँवों को मूलभूत सुविधाओं एवं विकास के बुनियादी ढांचों से वंचित रहना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या उत्तराखण्ड सरकार उक्त 42 गाँवों को वाइल्ड लाईफ की परिधि से बाहर लाने के लिए कोई कदम उठा रही है, जिससे इन गाँवों को मूलभूत सुविधायें मिल सकें ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के पुरौला विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रश्नगत समस्त 42 ग्राम राजस्व ग्राम हैं और गोविन्द राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार की सीमा से बाहर हैं। किन्तु यह गाँव गोविन्द वन्य जीव विहार से घिरे हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं के रूप में वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत वन मार्गों एवं ब्राइडल पाथ का रखरखाव किया जाता है जिसका उपयोग ग्रामवासियों द्वारा भी किया जाता है।

गोविन्द वन्य जीव विहार से घिरे हुए इन 42 गाँवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास में अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2004 में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गोविन्द वन्य जीव विहार की बाउन्डरी के पुनर्सीमांकन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित समिति की दिनांक 30–06–2006 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा यह कहा गया है कि प्रथमदृष्ट्या वन्य जीव विहार की सीमाओं का परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और यह प्रस्ताव राज्य सरकार को पुनः विचार हेतु वापिस भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत मोहण्ड से रानीपुर सड़क निर्माण की अनुमति तथा निर्माण में कुल व्यय

2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

द्वितीय सत्र 2007 के प्रथम बुधवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सड़क सुधार के अन्तर्गत क्या–क्या कार्य किये गये तथा सड़क सुधार में प्रति किलोमीटर व्यय की दर क्या है एवं कुल कितना धन व्यय किया गया ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पार्क के अन्दर सड़क सुधार हेतु अनुमति लिये जाने की आवश्यकता है ? यदि हाँ, तो उक्त कार्य के सम्बन्ध में पूर्वानुमति ली गयी है ?

यदि नहीं, तो बिना अनुमति के उक्त कार्य कराने के लिए कौन दोषी है ?

क्या सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत मोहण्ड से रानीपुर तक वन मोटर मार्ग (33.60 कि0मी0) जो कि पूर्व से विद्यमान है, में सड़क सुधार कार्य के अन्तर्गत ई0पी0आई0 संस्था द्वारा काजवे, क्लवर्ट, डब्लू0बी0एम0 रोड आदि कार्य किये गये।

सड़क सुधार में प्रति किलोमीटर लागत रु0 11,79,643/– मात्र की आयी एवं कुल रु0 396.36/– मात्र का व्यय किया गया।

पार्क में विद्यमान सड़क के सुधार कार्य कराये जाने हेतु पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के घाड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानीय न्याय पंचायत क्षेत्रों में पेयजल समस्या

3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पेयजल मंत्री जी अवगत हैं कि गर्मियों में जल स्तर गिरने के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है ?

क्या सरकार अवगत है कि जनपद हरिद्वार के घाड़ क्षेत्र की खेड़ी शिकोपुर न्याय पंचायत, नोकराग्रन्ट न्याय पंचायत, निवादा न्याय पंचायत इमलीखेड़ा न्याय पंचायत, डांडा जलालपुर न्याय पंचायत, चोली न्याय पंचायत, पिरान कलियर न्याय पंचायत, लालढाँग न्याय पंचायत क्षेत्रों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

अभावग्रस्त क्षेत्रो में आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

घाड़ क्षेत्र की खेड़ी शिकोपुर, नोकराग्रन्ट, निवादा, इमलीखेड़ा, डांडा जलालपुर, चोली, पिरान कलियर एवं लाल ढाँग न्याय पंचायत में इण्डियॉ मार्ग–II हैण्डपम्पों, नलकूप तथा सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत पाईप्ड पेयजल योजनाओं द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जल निगम/जल संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

4–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम/जल संस्थान में वर्षों से कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु सरकार के पास कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में दैनिक वेतन पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है परन्तु उत्तराख़ण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत 49 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विनियमितीकरण विनिमय, 2003 के प्रतिबन्धों एवं मा0 न्यायालयों में लम्बित वादों के कारण उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विनियमित नहीं किए जा सके हैं।

राज्य में सेवारत अनुसूचित जाति के वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति

5–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत अनुसूचित जाति के वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाले पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमानुसार प्रोन्नति दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटकों की सुविधा हेतु कोटद्वार रथुवाढ़ाव–काण्डा ढिकाली मार्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कोटद्वार में किये जाने पर विचार

6–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि कार्बेट नेशनल पार्क का 70 प्रतिशत हिस्सा पौड़ी जनपद के अन्तर्गत आता है ?

क्या पर्यटकों की सुविधा हेतु कोटद्वार–रथुवाढ़ाव–काण्डा ढिकाला मार्ग हेतु मुख्य प्रवेश द्वार कोटद्वार में प्रस्तावित है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ। कार्बेट नेशनल पार्क का लगभग 68.17 प्रतिशत भाग पौड़ी जनपद में पड़ता है।

जी नहीं।

कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 में की गई थी। कालागढ़ में बाँध निर्माण के पश्चात् प्रोजेक्ट टाइगर के आरम्भ से ही राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित ढिकाला का मुख्य प्रवेश द्वार धनगढ़ी से है। काण्डा से ढिकाला जाने की अनुमति तौड़ियाखाल गेट से दी जाती है।

उत्तराखण्ड में सिंचाई विभाग की नहरों में गन्दे पानी की निकासी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही

श्री गणेश जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उत्तराखण्ड में सिंचाई विभाग की नहरों में गन्दे पानी की निकासी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो दि0 01–01–2007 से दि0 23–05–2007 तक कितने लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी है ?

क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता, गढ़वाल सिंचाई खण्ड, लैंसडोन को सहायक अभियन्ता तृतीय उप खण्ड सिंचाई विभाग कोटद्वार के द्वारा इसी सम्बन्ध में ग्राम बालासौड़ के एक किसान द्वारा दि0 23–05–2007 को एक पत्र दिया गया था ?

यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

इस अवधि में किसी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी।

जी हाँ।

संज्ञान में आया है कि श्री राजा राम अणथ्वाल द्वारा गन्दे पानी की निकासी कुलावा नं0 3 में की जा रही है। विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि गंदे पानी की निकासी कुलावा नं0 3 में न करके गूल में की जा रही है। गूलों का रखरखाव ग्राम सभा अथवा सम्बन्धित कृषकों द्वारा किया जाता है। अतः प्रकरण सिंचाई विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट में कार्यरत आदि गोल्ड माइन द्वारा बेनाप भूमि में रोड निर्माण

8–श्री मयूख सिंह–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट में कार्यरत आदि गोल्ड माइन द्वारा अपने खनन क्षेत्र में बेनाप भूमि में रोड़ बनायी गयी है ?

क्या गोल्ड माइन द्वारा मार्ग बनाये जाने की अनुमति शासन से ली गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र मृग विहार के अन्तर्गत आता है ?

क्या सरकार इस प्रकरण की जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट क्षेत्र के अन्तर्गत बेनाप भूमि अथवा वन्य जीव विहार सीमा अन्तर्गत आदि गोल्ड माइनिंग कम्पनी द्वारा कोई भी मोटर मार्ग निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

चूँकि उक्त कम्पनी द्वारा कोई मोटर मार्ग निर्माण कार्य उक्त स्थान में नहीं किया गया है। अतः अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त क्षेत्र अस्कोट कस्तूरा मृग विहार के अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मालन सुखरो तथा खोह नदी द्वारा कृषि भूमि का कटाव

9–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मालन सुखरों तथा खोह नदी द्वारा प्रतिवर्ष सैंकड़ों एकड़ कृषि भूमि का कटाव हो रहा है, जिससे कई गाँवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है एवं जानमाल के नुकसान की आशंका व भय बना रहता है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

मालन नदी की बाढ़ सुरक्षा हेतु रु0 131.20 एवं खो नदी की बाढ़ सुरक्षा हेतु रु0 58.70 लाख के प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है, परन्तु प्रश्नगत बाढ़ सुरक्षा का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मालन नदी की बाढ़ सुरक्षा हेतु एक और प्राक्कलन रु0 337.62 लाख तैयार कर केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण की स्वीकृति हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना को भेजा गया है, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

सुखरो नदी की बाढ़ सुरक्षा के लिए सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बाँध झील के कारण चिन्यालीसौंड़ से दिचली गमरी व टिहरी जनपद के प्रतापनगर क्षेत्र में मोटर झूला पुल डूबने से उत्पन्न समस्या

10–श्री केदार सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बाँध झील के कारण चिन्यालीसौड़ से दिचली गमरी व टिहरी जनपद के प्रतापनगर क्षेत्र के कुछ हिस्से को जोड़ने वाला मोटर झूला पुल डूब गया है ?

क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय / ग्रामीण जनता आन्दोलनरत है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस तात्कालिक समस्या का कोई निदान किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ, स्थानीय जनता आन्दोलनरत रही है। वर्तमान में तात्कालिक समस्या के निदान हेतु बोट की व्यवस्था कर दी गयी है, जिससे स्थानीय जनता का आवागमन हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के शेष छूटे हुऐ गाँवों में पेयजल सुविधा की व्यवस्था

11–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र में कितने गाँवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है तथा कितने ग्रामों में पेयजल सुविधा की व्यवस्था नहीं है ?

क्या सरकार छूटे हुए गाँवों में यथाशीघ्र पेयजल सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, 2003 के सर्वे के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कुल 249 राजस्व ग्रामों की 542 बस्तियाँ हैं, जिसमें 377 बस्तियाँ पूर्ण सेवित हैं, 17 बस्तियाँ आंशिक रूप से सेवित तथा 148 असेवित हैं।

जी हाँ। पेयजल से आंशिक सेवित एवं असेवित बस्तियों को क्षेत्र सुधार नीति (स्वैय) कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2012 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्वाल गाँव में सीवर लाइन बिछाये जाने की योजना

12–श्री गगन सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्वाल गाँव में सीवर लाईन बिछाई जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाईन बिछाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम जुम्मा पेयजल पुनः निर्माण योजना से अवशेष तोकों में पेयजल का कार्य

13–श्री गगन सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम जुम्मा पेयजल पुनः निर्माण के अन्तर्गत कितने तोकों में कार्य होगा ?

क्या अवशेष तोकों में भी पेयजल योजना का कार्य होगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम जुम्मा के 15 तोकों में कार्य किया जायेगा।

जी हाँ। योजना के कार्य क्षेत्र सुधार नीति (स्वैय) के अन्तर्गत किये जाने के कारण सम्बन्धित ग्राम सभाओं से पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति का गठन होने की बाध्यता है।

ग्राम स्तरीय समितियों के गठन के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम सभा के स्तर से पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति का गठन नहीं हुआ है।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा नन्दपुर झण्डीचौड़ में निर्मित नलकूप से जनता को लाभ न मिलने के कारण

14–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा नन्दपुर एवं झण्डीचौड़ में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये (1.47 लाख) रु0 की लागत से नलकूप निर्मित हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त नलकूप का लाभ जनता को मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

ग्रामीण योजनाओं के निर्माण कार्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन के उपरान्त योजना निर्माण का कार्य सम्भव होगा।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट क्षेत्र में बग्वाली पोखर पेयजल पम्पिंग योजना की निर्माण स्थिति

15–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट क्षेत्र में बग्वालीपोखर पेयजल पम्पिंग योजना की निर्माण कार्य स्थिति क्या है ?

कब तक उक्त क्षेत्र के ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट क्षेत्र में बग्वालीपोखर पेयजल पम्पिंग योजना का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है।

वर्तमान में निर्मित दो नलकूपों में से एक नलकूप से पम्पिंग कर जल संस्थान के जलाशयों के माध्यम से मण्डार ग्राम क्षेत्र की 11 बस्तियों में से 10 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है तथा शेष 01 बस्ती तथा वासूलीसेरा क्षेत्र की 05 बस्तियों को पूर्ण रूप से मार्च, 2008 तक पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसल के नुकसान का आंकलन

16–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसल को हो रहे नुकसान का आंकलन विभाग द्वारा करवाया गया है ?

यदि हाँ, तो कब और तत्संबन्धित ब्यौरा क्या है ?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तराखण्ड में जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसल को हो रहे नुकसान का पृथक से कोई आंकलन विभाग द्वारा अभी तक नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील अन्तर्गत सिमलखेत परसारा बाखली एवं जमड़िया में पेयजल सुविधा

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील अन्तर्गत सिमलखेत, परसारा बाखली एवं जमड़िया ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु निर्माणाधीन रंगचौड़ा (चमोली) पेयजल योजना से जोड़े जाने हेतु उनके पत्र संख्या 796/वी0आई0पी0/2007 के सन्दर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

पत्र सं0 796/वी0आई0पी0/07 के क्रम में महाप्रबन्धक (नियोजन/अप्रैजल), पेयजल निगम के पत्र संख्या 2288/का0पे0यो0 चमोली, दिनांक 26–7–2007 द्वारा प्रश्नगत ग्रामों को रंगचौड़ा पेयजल योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कर आख्या देने हेतु मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) को निर्देश दिये गये। जनपद अल्मोड़ा के सिमलखेत, परसारा बाखली एवं जमड़िया ग्रामों की आवश्यकता 101

एल0पी0एम0 होने के कारण इन्हें रंगचौड़ा पेयजल योजना, जिनकी वर्तमान क्षमता 33.(एल0पी0एम0 है, से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है। उक्त ग्रामों को रंगचौड़ा पेयजल योजना : स्रोत से सीधे पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के आधा पर बनायी जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत लालढांग के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसलों का बचाव

18–हाजी तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार ग्राम गैंडीखात श्यामपुर कांगडी, लालढांग, मिठीबेरी, पीलीपड़ाव, जसपुर चमरिया, नलोवाला, इब्राहिमपु इक्कड आदि ग्रामों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों का बहुत अधिक नुकसा किया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रभावित गाँवों में फसलों को जंगली जानवरों से बचा हेतु रेंज में किसानों के हित में जंगल की विद्युत तार बाड़ करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

इंगित गाँवों में से श्यामपुर व पीलीपड़ाव में सोलर फेन्सिंग आंशिक रूप से पूर्व से ही विद्यमान है। ग्रामों में सोलर फेन्सिंग लगाने का कार्य "उरेडा" द्वारा किया जाता है तथ तार–बाड़ की देखरेख सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है।

ग्रामों में विद्युत तारबाड़ लगाने के विषय में जानकारी 'उरेडा' द्वारा ही दी जा सकती है। वन विभाग के द्वारा ऐसा कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न में इंगित सभी ग्राम चारों तरफ से जंगल से घिरे हैं। इस प्रकार के ग्रामों में वन पशुओं द्वारा खेतों में नुकसान की घटनायें होती हैं।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड बीरोंखाल व एकेश्वर के अन्तर्गत लिस्कोट एवं नौगाँवखाल वन विश्राम गृह का पुनः निर्माण

19–श्रीमती अमृता रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत वन विश्राम गृह लिस्कोट एवं विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत वन विश्राम गृह नौगाँवखाल की स्थिति जर्जर हो गयी है जिससे प्रतिनिधियों को भ्रमण के दौरान रात्रि विश्राम हेतु अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त विश्राम गृहों की समस्या के निराकरण हेतु पुनर्निर्माण कार्य कब तक करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

लिस्कोट वन विश्राम गृह विकास खण्ड, बीरोंखाल गढ़वाल वृत्त के गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के क्षेत्रान्तर्गत है। वर्तमान में उक्त विश्राम गृह पूर्णतः निवास योग्य है और इसमें सभी आवासीय सुविधायें उपलब्ध हैं। वन विश्राम गृह जर्जर नहीं है तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सभी जन–प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा वन विश्राम गृह का रात्रि विश्राम हेतु उपयोग किया जाता है।

नौगाँवखाल वन विश्राम भवन विकास खण्ड, एकेश्वर गढ़वाल वृत्त के सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के अन्तर्गत है। वर्तमान में नौगाँवखाल वन विश्राम गृह की स्थिति अच्छी एवं उपयोग योग्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरिद्वार में वर्ष 2006–07 में जंगली जानवरों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का मुआवजा

20–हाजी तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में वर्ष 2006–07 में जंगली जानवरों द्वारा कितने व्यक्तियों को मारा गया है और कितने घायल हुए हैं ?

क्या दुर्घटना प्रभावित सभी व्यक्तियों का मुआवजा दे दिया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे वर्ष 2007 में हाथी द्वारा मारे गये स्व0 वजीर अली पुत्र लाला हुसैन, निवासी मकाम सिद्धश्रोत, रेंज श्यामपुर और ग्राम लालढांग में एक बारात में आये तीनों बच्चों का मुआवजा दे दिया गया है ?

यदि नहीं, तो सरकार जंगली जानवरों द्वारा मारे गये सभी व्यक्तियों का मुआवजा कब तक प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जिला हरिद्वार में वर्ष 2006–07 (1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक) हरिद्वार वन प्रभाग में 06 व्यक्तियों को जंगली जानवरों द्वारा मारा गया व 06 व्यक्तियों को घायल किया गया तथा राजाजी राष्ट्रीय पार्क में जंगली जानवरों द्वारा 02 व्यक्तियों को मारा गया व 02 व्यक्तियों को घायल किया गया।

दुर्घटना प्रभावित उपरोक्त सभी 8 मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को तथा 7 घायल व्यक्तियों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। एक घायल व्यक्ति के मामले में भुगतान हेतु कोई दावा विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2007 में मारे गये स्व0 वजीर अली पुत्र लाला हुसैन, निवासी मकाम सिद्धश्रोत को मुआवजा दिनांक 05–11–2007 को प्रदान कर दिया गया है।

ग्राम लालढांग में एक बारात में आए तीन बच्चों को हाथी द्वारा लैन्सडौन वन प्रभाग के अन्तर्गत मारा गया था, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन प्रकरणों

में से दो प्रकरणों में वारिसान प्रमाण–पत्र दिनांक 05–11–2007 को प्राप्त हुए हैं जिनमें मुआवजा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है तथा एक प्रकरण में आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को दिनांक 14–11–2007 को प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुआवजा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त क्रमांक 3 के अनुसार अवशेष तीनों प्रकरणों में मुआवजा भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरिद्वार, विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्रामों में नलकूपों की खराब स्थिति

21–हाजी तसलीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम नलोवाला ग्राम गैंडीखाता, ग्राम मुबारिकपुर, सुल्तानपुर (एल0जी0–01) ग्राम पचेवली (एल0जी0–05) आदि ग्रामों के राजकीय नलकूप खराब हो गये हैं जिसके कारण किसानों की रबी की फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के हित में उक्त ग्रामों के नलकूपों को ठीक कराने का कष्ट करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्राम नलोवाला में राजकीय नलकूप 5–एच0जी0 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य माह मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम गैंडीखाता एल0जी0–6, ग्राम मुबारिकपुर, सुल्तानपुर एल0जी0–1 ग्राम पचेवली एल0जी0–5, उक्त तीनों नलकूप वर्तमान में खराब हैं जिनको एक पक्ष में ठीक कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत राजपुर स्थित विजय कालोनी जोन–एफ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा

22–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजपुर स्थित विजय कालोनी जोन–एफ हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अनुमानित लागत 99.58 लाख स्वीकृत था ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उक्त ट्रीटमेन्ट प्लांट का लाभ कालोनी वासियों को मिलने लगेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

विजय कालोनी जोन–एफ हेतु सीवर पाईप लाईन एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट (सैप्टिक टैंक) के कार्यों हेतु रु0 99.58 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत है।

जी नहीं।

सैप्टिक टैंक हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी।

विजय कालोनी जोन–एफ हेतु स्वीकृत योजना में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (सैप्टिक टैंक) बनाये जाने हेतु मात्र रु0 3.49 लाख का प्राविधान था परन्तु एन0आर0सी0डी0, भारत सरकार के द्वारा प्रसारित मानकों के अनुसार सैप्टिक टैंक फीकल कॉलीफार्म के मानक प्राप्त करने में सक्षम न होने के फलस्वरूप, नवीनतम तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अधिष्ठापित करने हेतु एक प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 182.00 लाख भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति एवं धनावंटन होने के पश्चात् 2 वर्षों में इसको पूर्ण कर कालोनीवासियों को इसका लाभ दिया जा सकेगा।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराहन 1.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारे लगाने लगे [XXX])

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर बैठने को कहें तथा सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग दें।

कतिपय विषयों को पुनः नियम 310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इसको नियम 310 में सुन लें, हमारे आग्रह को स्वीकार कर लें तो सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ जायेंगे और सदन भी व्यवस्थित हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने कैसे मान लिया कि इसे नहीं सुनेंगे। कृपया माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कि वे कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें।

(वेल में खड़े होकर माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे तथा नारे लगाने लगे। [XXX])

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि वे पहले आसन ग्रहण करें और सदन को व्यवस्थित करें तभी आपकी बात को सुना जा सकेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे प्रदेश का मामला है और गंभीर विषय है। आप स्वयं भी इसे गम्भीर मान रहे हैं तो इस पर नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर लें, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम सदन को व्यवस्थित कर देंगे। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह अच्छी परिपाटी नहीं है कि सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले माननीय सदस्यगण वेल में आ जाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप सदन को व्यवस्थित कराने में सहयोग प्रदान करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार की लापरवाही है कि पिछले सत्र से अब तक सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जिससे गरीब दलित, पिछड़े हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। आप लोगों ने यह कैसे मान लिया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक आप लोग अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे तब तक कोई भी बात कार्यवाही में अंकित नहीं की जायेगी।

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, आप इसकी महत्ता को खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। आप अपना विनिश्चय दे दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप खुद भी इस पीठ पर सुशोभित हो चुके हैं। माननीय सदस्य जब तक अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तब तक इनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपको जो भी बात कहनी है अपने स्थान पर जाकर कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तब तक इनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। माननीय श्री यशपाल जी जब तक सदन में सभी माननीय सदस्य वेल से अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तब तक सदन कैसे चलेगा ? आप लोग नियम से अपनी बात कहें, पहले सदन को व्यवस्थित करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी ओर से निर्णय आ जाये कि आप नियम 310 पर सुनने को तैयार हैं तो निश्चित रूप से सदन को व्यवस्थित कर देंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की पीड़ा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[XXX]

[XXX]

(माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी ने वेल में खड़े होकर कहा) [XXX]

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी निजामुद्दीन जी, आपकी बात का संज्ञान लिया जा सकता है, पर पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय गम्भीर है और इसके लिए माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करने का काम माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है तो मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें। माननीय अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, उसको सुन तो लें।

(माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा [XXX])

श्री अध्यक्ष–

पहले आप अपने स्थान पर जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता प्रतिपक्ष और माननीय यशपाल आर्य को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के कुछ माननीय सदस्य "वेल " में पूर्ववत् खड़े थे और कुछ "वेल" में बैठे थे।)

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम सदन को व्यवस्थित तो होने दें। (व्यवधान)

[XXX]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने–अपने स्थान पर चले जायं। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी ने "वेल" में खड़े होकर कहा [XXX])

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप व्यवस्था तो बनायें।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण नियमावली, 2006

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 (2) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का दूसरा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2007 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का चौथा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था,

पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का छठा अधिनियम बन गया।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या 9 पुकारे जाने पर माननीय सभापति लोक लेखा समिति ने प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत नहीं किया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाना

श्री अध्यक्ष–

मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना है कि अधिसूचना संख्या 2525/वि0स0/316/संसदीय/2007, दिनांक 26 जुलाई, 2007 के अनुसरण में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समिति का कार्यकाल उत्तराखण्ड की द्वितीय विधान सभा के वर्ष 2007 के तृतीय सत्र के अन्तिम उपवेशन की तिथि तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

गन्ना मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में गन्ना मंत्री का वक्तव्य

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, (1) हमारे प्रदेश में कुल 10 चीनी मिलें विद्यमान हैं, जिनमें से 4 मिल सहकारी क्षेत्र में, 2 मिल सरकारी क्षेत्र में एवं 4 निजी क्षेत्र की मिलें हैं। इन मिलों की कुल पेराई क्षमता 37500 टन प्रतिदिन है। 1.50 लाख से अधिक परिवार सीधे गन्ना उत्पादन से जुड़े हैं। इन परिवारों के अतिरिक्त गन्ना कृषि मजदूरों को भी वर्ष पर्यन्त एवं मौसमी रोजगार गन्ना उत्पादन से प्राप्त होता है।

(2) चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजारों में दाम कम होने, अत्यधिक गन्ना उत्पादन होने एवं सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य को कृषकों के हित में अधिक रखे जाने से चीनी मिलें वर्तमान में घाटे के दौर से गुजर रही हैं। तथापि सरकार ने गन्ना कृषकों का हित सर्वोपरि रखकर गन्ने का मूल्य, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कानूनी मूल्य से कहीं अधिक निर्धारित किया है एवं सहकारी व सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा अपने संसाधनों से गन्ना मूल्य का भुगतान न कर पाने की स्थिति में सरकार ने हमेशा गन्ना मूल्य हेतु इन मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(3) इस वर्ष गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश से 02 रुपये प्रति कुन्तल ज्यादा किया जायेगा। इस वर्ष गन्ने का मूल्य अगेती प्रजाति 132 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) तथा साधारण प्रजाति 127 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर), के हिसाब से भुगतान किया जायेगा।

नोट :– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(4) सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि न केवल हम उत्तर प्रदेश से 02 रुपये ज्यादा मूल्य देंगे बल्कि यदि वह अपना गन्ना मिलों के गेट पर लाते हैं और मीटर के अनुसार चीनी परता 11.0 प्रतिशत या इससे ज्यादा होगा तो उसे 1.00 रुपये प्रति कुन्तल गुणवत्ता प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक मिल में रिफ्रैक्टो मीटर की व्यवस्था की जा रही है।

(5) सभी चीनी मिल, घोषित गन्ना मूल्य का भुगतान पूर्णतः समय से कर सकें, इसके लिए तथा उन्हें उत्पाद विविधीकरण, यथा एथोनोल उत्पादन तथा विद्युत सह–उत्पादन करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किये जाने हेतु व्यापक नीति का मसौदा बनाया जा रहा है।

(6) सरकार द्वारा यह भी विचार किया जा रहा है कि विश्व के सबसे उन्नत प्रजातियों को जो कि किसानों को फायदा पहुँचा सके, उनके लिए उत्तराखण्ड शासन, टिश्यू कल्चर लैब, अगले साल तक हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में स्थापित की जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 नवम्बर, 2007 की बैठक में दिनांक 21 एवं 22 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>नवम्बर, 2007</u>

21 बुधवार	(1) औपचारिक कार्य।
	(2) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना।
22 गुरूवार	(1) अनुदानवार अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण।
	(2) विधायी कार्य।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना, माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वान्ह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 01 बजकर 27 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून
दिनांक 21 नवम्बर, 2007

महेश चन्द्र,
सचिव विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 4 विधान सभा/288–17–5–2008–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।